

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व, भादरा
(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान/कैम्प कोर्ट)
पीठसीन अधिकारी :- शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

बनाम

उत्तर

धर्मपाल आदि

दावा बाबत :- 88 R 7 A 1 A

मुकदमा नम्बर :-

निर्णय दिनांक :- 18-11-2021

वादी की ओर से वकील विनोद पुनिया की व प्रतिवादीगण की ओर से
वकील उमेश मोहरा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 18-11-2021 को

शकुन्तला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश
दिया जाता है कि

राई मोजा करणपुरा वारानसी के खाला सं. 185/288 के
खस-मु. 219, 220, 266 जी 12.406 ई० में सहीराम के नाम 1/3 हिस्सा,
राई 8 MSR के खाला 25/114 के मु. न. 33 पपकुला 5.313 ई० नक्षी
में सहीराम के नाम 1/3 हिस्सा, पल 9 MSR के खाला सं. 74/72 के
मु. न. 11, 12 कुला 3.921 ई० में सहीराम के नाम 1240/392 हिस्सा, पल
9 MSR के खाला सं. 58/74 के मु. न. 11, 12, 15, 16 कुला 11.638 ई०
में सहीराम के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में सहीराम
का नाम कलभजन किन्ना जाकर वादी उत्तर प्रतिवादी सं. धर्मपाल
प्रतिवादी सं. 2 जयवार को बहिस्सा कराकर के खालेदार काबलाकर
बोधित किन्ने जाते हैं मुक्ति प्रतिवादी सं. उता 5 ने अपना सम्पुण
इन्क व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पक्ष में त्पाठ कर चुके
कर लिखा है इसलिए त्पाठ किन्ने गये हिस्से पर पेजीयन
किन्ना का दाय पेजीयन मुल्य एवं स्टाम्प ड्यूटी अदा करने
व्याप्त रखे होते रहने मुक्ति होने के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड
में अपना दराजद किन्ना जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

शकुन्तला चौधरी (RAS)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (हनुमानगढ़)